> Date ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☐ Sun

Dr. Nutisri Dubey
Assistant Professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
P. G Sem – III (2024 – 2026)
CC – 12 : Indian logic

'Hetvabhas' (हेत्वाभास)

भारतीय न्याय में अनुमान के दोष को 'हेत्वाभास' कहते हैं। यह वह दोष है जो किसी अनुमान में रहता है और उसे अवैध बना देता है। अनुमान पक्षधर्मता और व्याप्ति पर आधारित होता है। अनुमान के निर्दोष होने के लिए आवश्यक है कि हेतु यथार्थ हेतु हो। जैसे, पर्वत पर आग की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि हेतु (धुआँ) यथार्थ हो, क्योंकि हेतु के यथार्थ न होने पर व्याप्ति-ज्ञान एवं उस पर आधारित अनुमान सदोष हो जाता है) यथार्थ हेतु वह है जिसमें साध्य को सिद्ध करने की योग्यता हो। हेतु में साध्य को सिद्ध करने की योग्यता तभी आती है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं —
पक्षवृत्ति, सपक्षवृत्ति, विपक्षाद्‌व्यावृत्ति,

> Date ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☐ Sun

असत्प्रतिपक्ष और अबाधित विषय। अर्थात् एक यथार्थ हेतु पक्ष में उपस्थित रहता है, सपक्ष (सजातीय दृष्टान्तों) में उपस्थित रहता है, विपक्ष (विजातीय दृष्टान्तों) में अनुपस्थित रहता है, उसका कोई सबल प्रतिद्वन्दी हेतु नहीं होता और उसके द्वारा प्रमाणित विषय अन्य प्रबलतर प्रमाणों से बाधित नहीं होता। इन विशेषताओं से युक्त हेतु साध्य को सिद्ध करने में सफल होता है और अनुमान निर्दोष होता है। किन्तु यदि इन विशेषताओं से रहित हेतु या इनमें से एक भी विशेषता से रहित हेतु साध्य की सिद्धि के लिए प्रस्तावित होता है तो अनुमान सदोष हो जाता है और उसका दोष 'हेत्वाभास' कहलाता है। न्याय दर्शन में हेत्वाभास के पाँच भेद प्राप्त होते हैं — सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित।

1- सव्यभिचार — इसमें हेतु साध्य के साथ ऐकान्तिक रूप से संबद्ध नहीं होता। इसे अनैकान्तिक भी कहते हैं। यह तीन प्रकार का है — साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी।

> Date

☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☐ Sun

(क) साधारण – इसमें हेतु अत्यन्त व्यापक होता है। वह पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष सभी दृष्टान्तों में उपस्थित रहता है। वह विपक्षाद् व्यावृत्ति नियम अर्थात् विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, का उल्लंघन करता है। जैसे,

पर्वत पर आग है, क्योंकि वह ज्ञेय है।

इसमें हेतु 'ज्ञेयत्व' तालाब आदि विपक्षी दृष्टान्तों में भी संभव है। अतः इसमें साधारण सव्यभिचार दोष है।

(ख) असाधारण सव्यभिचार – इसे हेतु अत्यन्त संकीर्ण होता है। वह केवल पक्ष में होता है, विपक्ष एवं सपक्ष में नहीं रहता। वह सपक्षवृत्ति नियम का उल्लंघन करता है। जैसे,

शब्द नित्य है, क्योंकि उसमें शब्दत्व है।

इसमें हेतु (शब्दत्व) शब्द का निजी गुण होने के कारण सजातीय दृष्टान्तों में अनुपस्थित है अतः यह हेतु असाधारण सव्यभिचार दोष से युक्त है।

(ग) अनुपसंहारी – इसमें पक्ष सर्वग्राही होता है। इसमें पक्ष में ही सब कुछ समाहित हो जाता है, सपक्ष और विपक्ष के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जैसे,

सभी वस्तुएँ अनित्य हैं,
क्योंकि वह ज्ञेय हैं।
इसमें पक्ष में ही समस्त ज्ञेय वस्तुओं का समावेश हो जाता है और सपक्ष और विपक्ष के लिए कोई उदाहरण ही शेष नहीं रहता।

2– विरुद्ध – विरुद्ध हेत्वाभास में हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। जैसे,
शब्द नित्य है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है।

3– सत्प्रतिपक्ष – सत्प्रतिपक्ष में एक हेतु के द्वारा साध्य का होना सिद्ध किया जाता है और दूसरे उदाहरण में विरोधी हेतु के द्वारा साध्य का न होना सिद्ध किया जाता है। जैसे –
शब्द नित्य है, क्योंकि यह हर जगह सुनाई देता है।
शब्द अनित्य है, क्योंकि यह एक कार्य है।

4– असिद्ध – जब हेतु की पक्ष में विद्यमानता न हो तो वह हेतु असिद्ध है। असिद्ध तीन प्रकार का होता है –

(क) आश्रयासिद्ध – जब हेतु को धारण करने वाला पक्ष ही असत् हो तो आश्रयासिद्ध होगा। जैसे – आकाशकुसुम सुगंधित है,
क्योंकि यह कुसुम है।
इसमें आकाशकुसुम जो पक्ष पद है वह स्वयं ही असिद्ध है। अतः यहाँ आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा।

(ख) स्वरूपासिद्ध – इसमें हेतु का स्वरूप ऐसा होता है कि वह पक्ष में नहीं रह सकता, तो स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होता है। जैसे –
शब्द नित्य है,
क्योंकि वह दिखाई देता है।

(ग) व्याप्यत्वासिद्ध – इसमें हेतु शर्त पर निर्भर करता है। जैसे – जहाँ-जहाँ आग है, वहाँ-वहाँ धुआँ है। इसमें आग के साथ धुँए का होना लकड़ी के गीले होने पर निर्भर करता है इसलिए इसे व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता है।

5 – बाधित – जब हेतु के साध्य का अभाव अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए तो वह बाधित कहलाता है। जैसे – आग शीतल है,
क्योंकि यह द्रव्य है।
यहाँ शीतलता का अभाव अग्नि के उष्ण स्पर्श से प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है। अतः यह हेतु बाधित है।